भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 57)

[29 दिसम्बर, 2006]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 30 अक्तूबर, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1885 का 13

2. भारतीय तार अधिनियम, 1885 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (1क) में ''दी जा सकने वाली और युक्तियुक्त कीमतों पर आधारी तार मेवाओं तक जनता की पहुंच की व्यवस्था करने के लिए बाध्यता'' शब्दों के स्थान पर ''दी जा सकने वाली और युक्तियुक्त कीमतों पर तार सेवाओं तक जनता की पहुंच की व्यवस्था करने के लिए बाध्यता'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 3 का संशोधन।

3. (1) भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यावृति।

(2) भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

राष्ट्रपति ने दि इंडियन टेलीग्राफ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Indian Telegraph (Amendment) Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Cazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—1522OLW(S3)—05.05.2007.

1882 4011

2006 का

अध्यादेश 3

2006 का अध्यादेश 3